



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3041]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 17, 2019/भाद्र 26, 1941

No. 3041]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 17, 2019/BHADRA 26, 1941

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 2019

**का.आ. 3326(अ).**—यतः, मै. मैट्रो इन्फोसिटी प्राइवेट लिमिटेड, मै. जमीदार रीयलकोन प्राइवेट लिमिटेड एवं मै. लाव्या रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड (संयुक्त), ने हरियाणा राज्य के बेहरामपुर एवं बलोला गाँव, तहसील-सोहना, जिला-गुडगाँव में सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28), (जिसे एतदपश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया था;

और यतः, केन्द्र सरकार ने विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 786(अ) दिनांक 15 फरवरी, 2018 द्वारा उपर्युक्त विशेष आर्थिक जोन में 10.09 हेक्टेयर के क्षेत्र को अधिसूचित कर दिया था;

और यतः, मै. मैट्रो इन्फोसिटी प्राइवेट लिमिटेड, मै. जमीदार रीयलकोन प्राइवेट लिमिटेड एवं मै. लाव्या रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड (संयुक्त) ने अब उक्त विशेष आर्थिक जोन के 10.09 हेक्टेयर के सम्पूर्ण क्षेत्र को अनधिसूचित करने का प्रस्ताव किया है;

और यतः, हरियाणा सरकार ने उनके मेमो. सं. एसईजेड/मैट्रो इन्फोसिटी प्रा. लि./3610-ए दिनांक 10 जुलाई, 2019 के तहत प्रस्ताव को अनापत्ति प्रमाण पत्र दे दिया है;

और यतः, विकास आयुक्त, नोएडा एसईजेड ने विशेष आर्थिक जोन के 10.09 हेक्टेयर के सम्पूर्ण क्षेत्र को अनधिसूचित करने के प्रस्ताव की संस्तुति की है;

अतः अब केन्द्र सरकार, विशेष आर्थिक जोन नियमावली, 2006 के नियम 8 के प्रथम परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा उक्त अधिसूचना को इस उत्सादन से पूर्व किए गए कार्यों या किए जाने के लिए लोपित को छोड़कर, रद्द करती है।

[फा. सं. एफ.1/17/2017—एसईजेड]

बी. बी. स्वेन, अपर सचिव

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY****(Department of Commerce)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 16th September, 2019

**S.O. 3326(E).**—WHEREAS, M/s. Metro Infocity Pvt. Ltd., M/s. Zamidar Realcon Pvt. Ltd. and M/s. Lavya Realtors Pvt. Ltd. (Jointly), had proposed under section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act) to set up a sector specific Special Economic Zone for Information Technology and Information Technology Enabled Services at Village-Behrampur & Balola, Tehsil-Sohna, District-Gurgaon in the State of Haryana;

AND, WHEREAS, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zone Rules, 2006, had notified an area of 10.09 hectares vide Ministry of Commerce and Industry Notification Number S.O. 786(E) dated 15th February, 2018;

AND, WHEREAS, M/s. Metro Infocity Pvt. Ltd., M/s. Zamidar Realcon Pvt. Ltd. and M/s. Lavya Realtors Pvt. Ltd. (Jointly) has now proposed to de-notify entire area of 10.09 hectares of the above Special Economic Zone;

AND, WHEREAS, the State Government of Haryana has given its “No Objection” to the proposal vide Memo. No. SEZ/Metro Infocity Pvt. Ltd. /3610-A dated 10<sup>th</sup> July, 2019;

AND, WHEREAS, the Development Commissioner, Noida Special Economic Zone has recommended the proposal for de-notification of entire area of 10.09 Hectares of the Special Economic Zone;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by first proviso to rule 8 of the Special Economic Zones Rules 2006, the Central Government hereby rescinds the above notification except as respects things done or omitted to be done before such rescission.

[F. No. F.1/17/2017-SEZ]

B.B. SWAIN, Add. Secy.